

No.M-75075/53/2020-Estt.IV  
Government of India  
Ministry of Jal Shakti  
Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation  
Central Water Commission

\*\*\*\*

03<sup>rd</sup> Floor (S), Sewa Bhawan,  
R. K. Puram, New Delhi-110066  
Dated the, 12<sup>th</sup> March, 2020

Subject: **Engagement of "Consultants" on contract basis in Farakka Barrage Project.**

The undersigned is to forward herewith a copy of letter No. A.28011/3/2018-E.III dated 21<sup>st</sup> February, 2020 received from E.III Section, Department of Water Resources, RD & GR, Ministry of Jal Shakti along with enclosures (Annexure-I to III) on the subject cited above for information/necessary action.

Enclosures: As above

Digitally signed by RAHUL RANBIR  
SINGH  
Date:Thu Mar 12 10:23:17 IST 2020  
Reason:Approved

**(RAHUL RANBIR SINGH)**  
Director (Admin)  
Tel : 011 29583449

Copy to:

1. PPS to the Chairman, CWC
2. PPS to all the Members of CWC
3. PS to all the Chief Engineers in Head Quarter and Field Offices of CWC through web portal of CWC (Circular)
4. PS to all the Superintending Engineers in Field Offices of CWC through web portal of CWC (Circular)
5. PS to the Joint Secretary, CWC
6. PS to the Secretary, CWC
7. PS to the Director (Admin)/Director(E-I)/Director (E-II)
8. PS to the Accounts Officer, CWC
9. All the Under Secretaries/All Establishment Sections/Directorates of CWC

I/34314/2020

Chn - out of  
CE (HRM)

No.A.28011/3/2018-E.III

Government of India

Ministry of Jal Shakti

Department of Water Resources, River Development &amp; Ganga Rejuvenation

\*\*\*

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,  
New Delhi, dated 6<sup>th</sup> February, 2020

To:

1. The Secretaries of all Ministries/ Department of Govt. of India as per list attached.
2. All organisations under D/o WR, RD & GR as per list attached.

Subject: Engagement of 'Consultants' on contract basis in Farakka Barrage Project.

Sir,

I am directed to say that applications are invited from retired Government Servants for engagement of two (02) Consultants on contract basis. Detailed terms and conditions of engagement of these Consultants, eligibility criteria and other details are given below:


1. Number of Consultants to be engaged on contract basis	02 (Two)
2. Age limit	Maximum age 65 years as the date of application
3. Place of assignment	1. Consultant(Admn): Farakka, District: Murshidabad, West Bengal 2. Consultant(Purchase & Liaison): Kolkata, West Bengal
4. Eligibility	As given in Annexure-I
5. Tenure of contract	
6. Assignment	
7. Other Terms & Conditions	As given in Annexure-II

2. Interested persons, who are in a position to join immediately, may submit their application, in plain paper, in the enclosed proforma, along with a copy of PPO to Under Secretary (E-III), Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India, Room No. 625, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001, within two weeks from the date of issue of Circular.

3. This may please be given wide circulation in the various units of your organization.

Yours faithfully,

Encl.: As above.



Under Secretary to the Govt. of India

Tele No. 23714350

Copy to:

1. Secretary, Central Water Commission, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi - 110022.
2. General Manager, Farakka Barrage Project, Murshidabad, West Bengal - 742212.

ANNEXURE-I**1. CONSULTANT(Admn)**

- (i) retired as a Deputy Secretary from the Central Government; or
- (ii) retired as a Under Secretary from the Central Government with minimum of five years of service as Under Secretary

Possessing five years' of experience in handling administration or establishment and/or accounts matter

**2. CONSULTANT(Purchase & Liaison)**

- (i) retired as an Executive Engineer(Civil) from the Central Government;
- (ii) retired as a Under Secretary from the Central Government with minimum of three years of service as Under Secretary

Possessing experience of (i) procurement of civil works; (ii) liaison works with various Government Departments; (iii) assist VIP/higher Official movement; and (ii) Liaison with Government Advocates in the matter of Court/CAT cases

**Duties and responsibilities:**

**1. Consultant (Admn.)** - Will perform the duties and responsibilities, which are required to be performed by the Senior Administrative Officer of Farakka Barrage Project (FBP) and will be designated as Consultant (Administration). He may be given additional responsibilities, besides duties of the Senior Administrative Officer, by the General Manager, FBP, who is the Head of Department of FBP. The General Manager, FBP will be his Reporting/Controlling Officer during the above engagement. The Consultant (Administration) will be authorized to issue communications to other organisations, for and on behalf of the FBP, as the Senior Administrative Officer would have required to do.

**2. Consultant (Purchase & Liaison)** : - Will execute procurement of goods required for the Farakka Barrage Project(FBP) for various Civil Works. He will also perform Liaison works with various Government Departments and take required action in the matter of Court/CAT cases of FBP and Union of India at Kolkata and West Bengal. He will perform the duties of Protocol Officer for VIP/higher Official movements at Kolkata and assist in the functions of FBP Guest House at Kolkata, including any other works assigned by the General Manager, FBP. The General Manager, FBP will be the Controlling Officer for this Consultant. The Consultant (Purchase & Liaison) will be authorized to issue communications to other organisations, for and on behalf of the FBP, from the Kolkata Office.

**Place of Posting:**

- 1. **Consultant (Admn.)** - Farakka Barrage Project, P.O. Farakka Barrage, Distt. Murshidabad, West Bengal - 742212.
- 2. **Consultant (Purchase & Liaison)**: Purchase & Liaison Office, Farakka Barrage Project, GE-2, Sector-III, Salt Lake, Kolkata, PIN 700106

**Emoluments :**

50% of last basic pay drawn (pension + the remuneration of the advertised consultancy in any case shall not be more than last basic pay drawn)

Consultant and the termination shall be effected by written notice served on the Consultant and shall take effect in 30 days of delivery of such notice.

- q. In case any permission is required to be taken by the applicants from the offices where they retired from, obtaining the same shall be the responsibility of the applicants.

\*\*\*\*\*

मिसिल सं: ए-28011/3/2018-ई-III अनुभाग

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक : 17.02.2020

सेवा में

1. संलग्न सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों के सचिव
2. संलग्न सूची के अनुसार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत सभी संगठन

विषय: फरक्का बैराज परियोजना में संविदा आधार पर "सलाहकार" की नियुक्ति  
महोदय,

मुझे संविदा आधार पर दो (02) सलाहकारों की तैनाती हेतु सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन मंगवाने का निर्देश हुआ है। इन सलाहकारों की भर्ती के विस्तृत निबंधन और शर्तें, पात्रता मानदण्ड और अन्य द योंर निम्नानुसार हैं।


1 संविदा आधार पर भर्ती किए जाने वाले सलाहकारों की संख्या	02 (दो)
2 आयु सीमा	आवेदन करने की तारीख तक आयु अधिकतम 65 वर्ष
3 कार्य करने का स्थान	1.सलाहकार (प्रशासन):फरक्का, जिला- मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल 2.सलाहकार (खरीद और संपर्क) : कोलकाता, पश्चिम बंगाल
4 पात्रता	अनुलग्नक-I में दिए गए अनुसार
5 संविदा की अवधि	
6 कार्य	
7 अन्य निबंधन और शर्तें	अनुलग्नक-II में दिए गए अनुसार

2. ऐसे व्यक्ति, जो इस पद पर तत्काल कार्य करने के इच्छुक हैं, वे संलग्न प्रपत्र में पीपीओ की एक प्रति सहित सादे कागज में अपने आवेदन अवर सचिव (ई-III), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार, कमरा नं.-625, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001 को इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत कर दें।

3. कृपया इसे अपने संगठन की विभिन्न यूनिटों में परिचालित करें।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि।

  
(एस.वी. पाण्डेय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष-23/14350

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर.के. पुरम. नई दिल्ली - 110022
2. महा प्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल- 742212

**34805/2020/O/o CHAIRMAN****1. सलाहकार (प्रशा.)**

- (i) केन्द्र सरकार से उपसचिव के पद से सेवानिवृत्त हो; या
- (ii) उपसचिव के पद पर पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा के साथ केन्द्र सरकार के उपसचिव के पद से सेवानिवृत्त हो।

**2. सलाहकार (खरीद और संपर्क)**

- (i) केन्द्र सरकार से कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद से सेवानिवृत्त हो।
- (ii) अवर सचिव के पद पर तीन वर्ष की न्यूनतम सेवा के साथ केन्द्र सरकार के अवर सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो।

इन कार्यों का अनुभव हो, (i) सिविल कार्यों की अधिप्राप्ति (ii) विभिन्न सरकारी विभागों के साथ संपर्क कार्य किया हो (iii) वीआईपी/उच्चतर सरकारी कर्मचारियों की गतिविधियों के सहायक रहे हों; और (iv) न्यायालय/सीएटी मामलों में सरकारी वकीलों के साथ संपर्क रहा हो।

**कर्तव्य और दायित्व**

1. परामर्शदाता (प्रशा.) - वह फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करेगा और उसे सलाहकार (प्रशासन) का पद दिया जाएगा। उसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के कर्तव्यों के साथ-साथ महा प्रबंधक, एफबीपी, जो एफबीपी विभाग के प्रमुख हैं, के द्वारा अतिरिक्त दायित्वों का भार दिया जा सकता है। उपर्युक्त नियुक्ति के दौरान, महा प्रबंधक एफबीपी उनके रिपोर्टिंग/नियंत्रक अधिकारी होंगे। जैसाकि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को करने की आवश्यकता होगी सलाहकार (प्रशासन) को अन्य संगठनों को एफबीपी के लिए और उनकी ओर से पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

2. सलाहकार (खरीद और संपर्क): फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) के विभिन्न सिविल कार्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद का कार्य करेंगे। विभिन्न सरकारी विभागों के साथ वे संपर्क कार्यों को पूरा करेंगे और एफबीपी और कोलकाता और पश्चिम बंगाल की यूनियन ऑफ इंडिया के न्यायालय/सीएटी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। वे कोलकाता में वीआईपी/उच्च अधिकारी कार्यकलापों के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी के दायित्वों का पालन करेंगे और कोलकाता में एफबीपी गेस्ट हाऊस के कार्यक्रमों में महाप्रबंधक, एफबीपी द्वारा दिए गए किन्हीं अन्य कार्यों को पूरा करने में सहायता करेंगे। इस सलाहकार के लिए महाप्रबंधक एफबीपी नियंत्रण अधिकारी होंगे। सलाहकार (खरीद और संपर्क), कोलकाता कार्यालय से एफबीपी के लिए और उनकी ओर से अन्य संगठनों को पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

**नियुक्ति का स्थान:**

1. सलाहकार (प्रशा.)- फरक्का बैराज परियोजना, पी.ओ. फरक्का बैराज, से मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल-742212.

2. सलाहकार (खरीद और संपर्क): खरीद और संपर्क कार्यालय, फरक्का बैराज परियोजना, जीई-2, सेक्टर-11। साल्ट लेक, कोलकाता, पिन 700106.

**परिलब्धियां:**

आहरित अंतिम वेतन का 50% (पेंशन+किसी भी मामले में बिजापित कंसल्टेंसी का पारिश्रमिक लिए गए आखिरी मूल वेतन से अधिक नहीं होगा)

I/34311/2020

21. एक माह का नोटिस देकर महाप्रबंधक, एफबीपी संविदा को समाप्त कर सकते हैं, यदि:

- i. सलाहकार दिए गए कार्य को पूरा करने में असमर्थ हो,
- ii. दिए गए कार्य की गुणवत्ता महाप्रबंधक, एफबीपी के लिए संतोषजनक नहीं हो।
- iii. ये सलाहकार महाप्रबंधक, एफबीपी द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा पर काम को पूरा करने में असमर्थ हों।

iv. इन सलाहकार/सलाहकारों में सच्चाई और निष्ठा का अभाव हो;

7. महाप्रबंधक, एफबीपी के पास, सलाहकार को एक माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है और सलाहकार को दिए गए लिखित नोटिस के द्वारा यह समापन किया जाएगा और इस प्रकार का नोटिस 30 दिनों में प्रभावी होगा।

8. जिस कार्यालय से आवेदक सेवानिवृत्त हुआ है, वहां से यदि कोई अनुमति लेने की आवश्यकता है तो उसे लेना आवेदक का दायित्व होगा।

I/34311/2020

13	आवेदन की गई सलाहकार सेवा/ (प्राथमिकता)				1.सलाहकार (प्रशासन) केवल 2.सलाहकार (विधि और संपर्क) केवल 3.दोनों 1 और 2 4.दोनों 2 और 1

संकल्प

1. मैं, एतद द्वारा सूचित करता हूँ कि उपर्युक्त सभी ब्यौरे मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि सेवानिवृत्ति के समय मैं सतर्कता की दृष्टि से बेबाक था। मैंने यह परिपत्र पढ़ लिया है और सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए सभी निबंधन और शर्तों को स्वीकार करता हूँ।
2. मैंने आवेदन करने से पहले सेवानिवृत्ति वाले कार्यालय से अनुमति (यदि आवश्यक है) पहले ही ले ली है और चयन हो जाने पर इसे दे दूंगा / जिस कार्यालय से मैं सेवा निवृत्त हुआ हूँ, वहां से कोई भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है (जो लागू नहीं होता, उसे काट दें)।

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख:

34805/2020/O/o CHAIRMAN

करक्का बैराज परियोजना में संविदा आधार पर सलाहकार की नियुक्ति करने हेतु आवेदन

पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो

1	पूरा नाम (साफ अक्षरों में)	
2	जन्म तिथि	
3	ई-मेल आईडी	
4	मोबाइल नम्बर	
5	आवास का पता	
6	शैक्षिक अर्हता	
7	अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति की तिथि	
8	पीपीओ नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
9	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद	
10	संगठन का नाम, जहां वर्तमान में कार्य कर रहे हैं (यदि कोई हो तो)	
11	संगठन, जहां से अधिवर्षिता प्राप्त की है।	
12	विगत 5 वर्षों के अनुभव का संक्षिप्त व्यौरा (एक अलग शीट संलग्न करें)	<div>धारित पद</div> <div>से</div> <div>तक</div> <div>कार्य का अनुभव/प्रकृति</div>

I/34311/2020


अनुलग्नक-II

सलाहकार की उपर्युक्त नियुक्ति के लिए अन्य निबंधन व शर्तें नीचे दिए अनुसार होंगे-

7. सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से परामर्श की आरंभिक अवधि 12 माह की होगी, जिसे तीन वर्षों तक या परामर्शदाता की आयु 65 वर्ष की होने तक, जो भी पहले हो, समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है।
8. एफबीपी में इन सलाहकारों की नियुक्ति को पुनः रोजगार का मामला नहीं माना जाएगा, जबकि इसे पूर्णतः संविदा आधार पर समझा जाएगा और यह एफबीपी में न तो एक नौकरी है और न ही नौकरी का कोई वादा है।
9. सलाहकार के रूप में इस नियुक्ति से इस पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा और किसी पद पर नियमित नियुक्ति के लिए किसी दावे को करने का अधिकार नहीं मिलेगा।
10. इन सलाहकार/सलाहकारों को एफबीपी के साथ पूर्णकालिक अवधि के लिए रखा जाएगा और (संविदा की अवधि के दौरान) वे कोई अन्य पद, वेतन, या अन्य प्रकार से किसी अन्य निजी संगठन के साथ संलग्न नहीं होंगे।
11. ये सलाहकार जीएफआर, 2017 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे और संविदा की पूर्ण अवधि के लिए समय-समय पर अन्य दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे तथा कोई अन्य भत्ता (डीए, एचआरए, किराया या कोई अन्य भत्ता/सहायता आदि) नहीं दी जाएगी। ये सलाहकार किसी अन्य सुविधा के हकदार नहीं होंगे।
12. सेवा के दौरान, ये सलाहकार केन्द्र सरकार के उन सभी नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगे, जो सामान्य सरकारी कर्मचारी पर लागू होते हैं।
13. इन सलाहकारों को सेवानिवृत्ति की तिथि पर उनकी पात्रता के अनुसार सरकारी यात्राओं के लिए टीए/डीए दिया जाएगा।
14. ये सलाहकार, एक कैलेंडर वर्ष में आठ (08) दिन की छुट्टियों के हकदार होंगे और यदि उनकी अनुपस्थिति आठ दिनों से अधिक होगी तो उसके लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक कैलेंडर वर्ष में न ली गई छुट्टी को अगले कैलेंडर वर्ष तक नहीं बढ़ाया जाएगा।
15. काम के घंटे, एफबीपी के सरकारी काम के घंटे होंगे परन्तु महा प्रबंधक, एफबीपी के आदेशानुसार, यदि पारिस्थितिगत आवश्यकता होगी, तो इन सलाहकार/सलाहकारों को सामान्य काम के घंटों से अधिक बैठने की आवश्यकता हो सकती है और शनिवार/रविवार/राजपत्रित छुट्टियों को भी बुलाया जा सकता है।
16. महा प्रबंधक, एफबीपी की लिखित मंजूरी के बिना इस संविदा के उद्देश्य से और संविदा की अवधि के दौरान समग्र रूप से एकत्र किए गए डाटा के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के साथ-साथ एफबीपी के लिए निर्मित सुपुर्दगियों (डेलीवेरेबल्स) का प्रयोग या प्रकाशन या खुलासा समग्र के रूप में किसी पार्टी को या डाटा के किसी भाग या आंकड़ों या कार्यवाहियों या प्राप्त की गई जानकारी का खुलासा नहीं किया जाएगा।
17. भुगतान को जारी करने से पहले वर्तमान नियमों के अनुसार आचकर या कोई अन्य कर काट लिया जाएगा, जिसके लिए एफबीपी टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करेगा।
18. एफबीपी द्वारा संविदा की समाप्ति से पहले और अंतिम भुगतान जारी किए जाने से पहले संविदा अवधि की समाप्ति/समापन पर ये सलाहकार असाइनमेंट के सभी रिकॉर्डों को एफबीपी को दिए जाने के लिए बाध्य होंगे।
19. ये सलाहकार किसी भी ऐसे मामले में प्रतिनिधित्व करेंगे अथवा किसी व्यक्ति को अपने विचार अथवा सलाह नहीं देंगे जो एफबीपी के विशेष रूप से और सामान्य रूप से केन्द्र सरकार के हित के विपरीत हैं।
20. बातचीत, मध्यस्थता और कानूनी माध्यम के द्वारा भी सभी विवादों के समझौते का स्थान कोलकाता/फरक्का होगा और इन सलाहकारों के लिए केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

I/34315/2020

3. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह संलग्न विज्ञापन को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
(एस.बी. पाण्डेय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष-23714350

ANNEXURE-III

Application for engagement as Consultant on contract basis in Farakka Barrage Project

Recent Passport size  
photograph

1. Full Name (in Block Letters)				
2. Date of Birth				
3. Email ID				
4. Mobile Number				
5. Residential Address				
6. Educational Qualification				
7. Date of superannuation/retirement				
8. PPO Number (enclose a copy)				
9. Post held at the time of retirement				
10. Organization currently working, if any				
11. Organization superannuated from				
12. Brief particulars of experience of last five years (a separate sheet may be annexed)	Post Held	From	To	Experience / Nature of work
14. The Consultancy applied for / preference	1. For Consultant (Admn.) only 2. Consultant (Legal & Liaison) only 3. Both 1 & 2 4. Both 2 & 1			

Undertaking

1. I hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I further declare that I was clear from vigilance angle at the time of my retirement. I have read this circular and accept all the terms and conditions for engagement of consultants.

2. I have already taken permission (if required) to be taken by the applicants from the offices where they retired and shall provide the same in case of my selection/No permission is required to be taken from the office where I retired. (~~strike out whichever is not applicable~~).

Place :

Date :

(Signature of the applicant)


ANNEXURE-II

Other terms & conditions for the aforesaid engagement as Consultant will be as under:-

- a. Initial period of consultancy will be for 12 months, from the date of joining as consultant, which may be extended from time to time, for three years or till the Consultant attains 65 year of age, whichever is earlier.
- b. engagement of these Consultant(s) in FBP shall not be considered as a case of re-employment, rather it shall be treated as purely on contract basis and it is neither a job nor an assurance for a job at FBP.
- c. This engagement as Consultant will not confer any right for regular appointment to the post and will not confer any right for staking any claim for regular appointment to any post.
- d. These Consultant(s) shall be on the whole time engagement with the FBP and shall not accept any other appointment, paid or otherwise and shall not engage himself with other private organization of any kind during the period of contract.
- e. These Consultant(s) will receive fixed consolidated remuneration, subject to the conditions prescribed in the GFR, 2017 and other extant instructions issued from time to time for the entire period of contract and no other allowance (DA, HRA, Conveyance or any other allowance/relief etc.) shall be paid to them. These Consultant(s) shall not be entitled for any other facilities.
- f. These Consultant(s) will abide by the rules and regulations of the Central Government applicable to an ordinary Government Servant, while on service.
- g. These Consultant(s) will be allowed TA/DA for official journeys as per their entitlements on the date of retirement.
- h. These Consultant(s) will be eligible for 08 (eight) days leave in a calendar year and no remuneration will be paid in case their absence exceeds eight days but leave not availed during a calendar year will not be carried forward to the next calendar year.
- i. the working hours shall be the official working hours of FBP but these Consultant(s) may be required to sit late beyond normal hours and may be called on Saturdays/Sundays/Gazetted holidays, if situation requires, on orders of GM, FBP.
- j. the Intellectual Property Rights (IPR) of the data collected as well as the deliverables produced for the FBP as a whole shall not be utilized or published or disclosed or part with, to a third party and any part of the data or statistics or proceedings or information collected for the purpose of this contract, or during the course of the contract shall be disclosed, without the express written consent of the GM, FBP.
- k. the Income Tax or any other tax liable to be deducted, as per the prevailing rules will be deducted at source before effecting the payment, for which FBP will issue TDS Certificate.
- l. on termination/closure of contract period, these Consultant(s) will be bound to hand-over the entire set of records of assignment to the FBP, before the expiry of the contract, and before the final payment is released by the FBP.
- m. These Consultant(s) will in no case represent or give opinion or advice to any person, in any matter which is adverse to the interest of the FBP in, particular and the Central Government in general.
- n. the place for settlement for all disputes through negotiation, mediation and also through legal media will be Kolkata/Farakka and decision of Central Government shall be binding on these Consultant(s).
- o. the GM, FBP may terminate the contract by serving a notice of one month, if:
  - i. the Consultant is unable to address the assigned works,
  - x. i the quality of the assigned works is not to the satisfaction of the GM, FBP,
  - xi. ii these Consultant(s) fail in timely achievement of the milestones as finally decided by the GM, FBP
  - xii. v these Consultant(s) are found lacking in honesty and integrity;
- p. the GM, FBP reserves the right to terminate the contract, by giving one month's notice to the

I/34314/2020

3. NIC with request for uploading the enclosed advertisement on the Ministry's website.



(S.B. Pandey)

Under Secretary to the Govt. of India  
Tele No. 23714350